दैनिक चम्बल संदेश
सच के लिए, सच के लिए

'जेजे एक्ट को अच्छी तरह समझ लो, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहना'

■ बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने ली कोचिंग प्रतिनिधियों की क्लास ■ सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों से भी की मुलाकात ■ छात्रों के तनाव के संबंध में ली जानकारी, कोचिंग संस्थानों के लिए तय होंगे नियम

संदेश न्यूज। कोटा.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कोटा पहुंचा। सदस्यों ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों में जाकर विद्यार्थियों एवं संचालकों से मुलाकात की और छात्रों के मानसिक तनाव के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद टैगोर हॉल में प्रशासनिक अधिकारियों व विभिन्न कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

बैठक में आयोग के सदस्यों का रुख कड़ा रहा और उन्होंने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों की क्लास लेकर कई सवाल जवाब किए। बैठक में सदस्यों ने सबसे पहले छात्रों की काउंसलिंग के लिए संचालित हेल्पलाइन 'होप' की जानकारी ली। उन्होंने डॉ.एमएल अग्रवाल से इसे चलाने, काउंसलिंग, छात्रों तक इसकी पहुंच की प्रक्रिया के बारे में पूछा। उनसे छात्रों के तनाव व आत्महत्या के प्रकरणों के कारण पूछे। अग्रवाल ने अलग-अलग केस में अलग अलग कारण होने की बात कही। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों से शहर में रजिस्टर्ड हॉस्टल्स की संख्या पूछी तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद एडीएम सुनीता डागा ने उन्हें जानकारी दी। आयोग के सदस्यों ने यह भी पूछा कि आत्महत्याओं के मामलों को रोकने व बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

टैगोर हॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार समिति की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों व कोचिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि चर्चा करते हुए।

पहले आप अपनी लापरवाही देखो

बंसल क्लासेज के प्रतिनिधि केके तिवारी ने शिक्षण नीति खराब होने की बात कही तो आयोग सदस्य प्रियंक ने कोचिंग संस्थानों से अपनी लापरवाही देखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बच्चा एक से दूसरे कोचिंग में पढ़ने के लिए दौड़ता रहता है। संस्थानों में कार्यरत काउंसलर्स की योग्यता ग्रेजुएट बताए जाने पर भी आयोग सदस्यों ने आश्चर्य जताया। यह बता सामने आई कि विद्यार्थियों के आत्महत्या करने की घटनाएं कोचिंग के टेस्ट की तिथियों के आस-पास हुई है। आयोग ने इन मामलों में जांच करने वाले पुलिसकर्मियों से भी पूछा कि इस एंगल पर कभी जांच की है या नहीं। जवाब 'ना' में मिलने पर उन्होंने इस एंगल से भी जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग ने कोचिंग प्रतिनिधियों से दो टूक कहा कि जेजे एक्ट को अच्छी तरह से समझ लो, उल्लंघन होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना।

बच्चे मासूम हैं, उनसे ग्राहक जैसा बर्ताव नहीं हो: प्रियंक

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि संस्थानों में निरीक्षण करने और विद्यार्थियों से बातचीत के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। फिलहाल उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। काउंसलर और विद्यार्थियों के अनुपात में काफी गेप है। 77 हजार छात्रों पर चार काउंसलर होना समझ से परे है। डाटा फैक्टस लिए गए हैं, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। अन्य एजुकेशन हब बने शहरों में भी जाकर छात्रों से बात की जाएगी और उसके बाद ऐसा नियम बनाने की कोशिश की जाएगी जो पूरे देश में लागू हो सके। इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि बच्चों के साथ कोचिंग संस्थानों, स्कूलों में ग्राहकों की तरह बर्ताव न किया जाए। छात्रों ने कई तरह की समस्याएं बताई है, जिसमें बैच में पीछे बैठना, समस्या को कोई सुनने वाला नहीं होना, टेस्ट के बहाने बच्चों को बुलवाकर एडमिशन जैसी बातें करने की शिकायतें भी सामने आईं।

नई शिक्षा नीति में होगा नया मैन्युअल

कानूनगो ने बताया कि आयोग की तरफ से बच्चों की स्कूल में सुरक्षा को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें नई शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों के लिए नया मैन्युअल बनाया जा रहा है। अगर उसका पालन संस्थान नही करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल अब व्यवसाय बनते जा रहे हैं,इसलिए गाइडलाइन लागू करना बड़ी जरुरत है।